

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2224

जिसका उत्तर दिनांक 04.03.2020 को दिया जाना है

यूरेनियम खानों में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे

2224. श्री राजीव प्रताप रूडी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार के पास यह रिपोर्ट है कि खतरनाक गतिविधियों जैसे रेडियोएक्टिव स्लरी का खुलेआम भंडारण किया जा रहा है जिससे देश में यूरेनियम खानों के आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न हो रहा है और यदि हाँ, तो ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
- (ग) देश में यूरेनियम खानों में पालन किए जाने वाले मानकों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने इन खानों में खनन संबंधी मानकों से संबंधित लेखापरीक्षा की है; और
- (ङ) यदि हाँ, तो प्रत्येक खान की लेखापरीक्षा रिपोर्ट का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

- (क) जी, नहीं ।
- (ख) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता ।

यूरेनियम मिल में अयस्क से यूरेनियम प्राप्ति के दौरान निम्न स्तरीय रेडियोसक्रियता वाली टेलिंग्स उत्पन्न होती है जिसे स्लरी रूप में टेलिंग्स तालाब में भेज दिया जाता है । टेलिंग्स तालाब वैली-डैम संरचना डिजाइन वाले बनाए जाते हैं जो निरंतर रेडियोलॉजिकल निगरानी में होते हैं । टेलिंग्स तालाब में, ठोस भाग उसी में ठहर जाता है और सतह पर तैरने वाले द्रव को बहिःस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) में भेज दिया जाता है । डिस्चार्ज सीमाओं के अनुसार उपचारित बहिःस्राव को ही वातावरण में छोड़ा जाता है । अयस्क से यूरेनियम के निष्कर्षण के बाद टेलिंग्स के अपरिष्कृत अंश को खानों में वापस भर दिया जाता है और उपचार की गई शेष टेलिंग्स को स्लरी के रूप में इंजीनियर्ड टेलिंग इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी (टेलिंग्स तालाब) में भंडारण किया जाता है । टेलिंग्स तालाब से बहिःस्राव को फिर से एकत्र कर उपचारित किया जाता है और प्रोसेस में पुनः उपयोग किया जाता है । शेष

उपचारित बहिःस्राव का मॉनीटरन कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि नियामक सीमाओं को पूरा करने के बाद ही इन्हें वातावरण में छोड़ा जाए । स्वास्थ्य भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा यूरेनियम खनन सुविधाओं के आस-पास नियमित रूप से पर्यावरणीय मॉनीटरन कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि आस-पास के क्षेत्रों में खनन प्रचालनों का प्रभाव नगण्य हो । अवशेष और स्थल स्थितियों के अभिलक्षणों के आधार पर टेलिंग इम्पाउंड फैसिलिटी की डिजाइन विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं । टेलिंग इम्पाउंडमेंट फैसिलिटी के प्रतिबंधित क्षेत्र की नियमित निगरानी यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्वास्थ्य भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा की जाती है । ऐसी सुविधाओं के आस-पास रहने वाले लोगों को टेलिंग्स में संबद्ध रेडियोसक्रियता के कारण से कोई स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो, ऐसा नहीं पाया गया है । भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्थल विशेष पर स्थापित की गई स्वास्थ्य भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा नियमित विकिरण मॉनीटरन किया जाता है । रेडियोसक्रियता/विकिरण से संबंधित मॉनीटरन रिपोर्टें तैयार कर, नियामक प्राधिकारी, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) को प्रस्तुत की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आस-पास के क्षेत्रों में खनन प्रचालनों का प्रभाव नगण्य है ।

(ग) देश की यूरेनियम खानों को विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों द्वारा अधिशासित किया जाता है । खान संरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) और परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) संविधि का अनुपालन करती है । एईआरबी, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोसक्रिय अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान) नियम, 1987 के समर्थकारी प्रावधानों के अधीन रेडियोलॉजिकल संरक्षा मानकों से यूरेनियम खानों को नियमित करती है । यूरेनियम खानों पर लागू रेडियोलॉजिकल संरक्षा मानकों को एईआरबी द्वारा विभिन्न नियामक दस्तावेजों जैसे 'यूरेनियम खनन एवं मिलिंग में रेडियोलॉजिकल संरक्षा', 'यूरेनियम और थोरियम की खनन एवं मिलिंग से रेडियोसक्रिय अपशिष्ट के प्रबंधन' इत्यादि में विनिर्दिष्ट किया जाता है ।

(घ) जी, हाँ । एईआरबी, यूरेनियम खानों में वर्ष में कम से कम एक बार नियामक निरीक्षण करता है तथा ताकि परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के अधीन जारी लाइसेंस में दी गई

(ङ) आवश्यकताओं और विनिर्देशनों के अनुपालन की जाँच हो सके और परमाणु ऊर्जा (रेडियोसक्रिय अपशिष्ट का संरक्षा निपटान) नियम, 1987 के अधीन प्राधिकार के विनिर्देशनों का सत्यापन हो सके । नियामक निरीक्षणों के अतिरिक्त, केस-टू-केस आधार पर विशेष निरीक्षण भी किये जाते हैं ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान एईआरबी द्वारा किए गए यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) की खानों के निरीक्षण का विवरण निम्नलिखित है :

| क्रम सं. | यूसीआईएल खानें | निरीक्षण अवधि [वित्तीय वर्ष] | | |
|----------|---------------------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
| 1. | यूसीआईएल खान-जादुगुडा | फरवरी, 2018 | दिसंबर, 2018 | अक्टूबर, 2019 |
| | | | जनवरी, 2019 | नवंबर, 2019 |
| 2. | यूसीआईएल खान-तुरामडीह | फरवरी, 2018 | जनवरी, 2019 | जनवरी, 2020 |
| 3. | यूसीआईएल खान-भाटिन | फरवरी, 2018 | दिसंबर, 2018 | नवंबर, 2019 |
| | | | जनवरी, 2019 | फरवरी, 2020 |
| 4. | यूसीआईएल खान-बागजाता | अगस्त, 2017 | फरवरी, 2019 | फरवरी, 2020 |
| 5. | यूसीआईएल खान-बांदुहुरांग | फरवरी, 2018 | जनवरी, 2019 | फरवरी, 2020 |
| 6. | यूसीआईएल खान-मोहुलडीह | फरवरी, 2018 | जनवरी, 2019 | फरवरी, 2020 |
| 7. | यूसीआईएल खान-नरवापहाड़ | फरवरी, 2018 | जनवरी, 2019 | फरवरी, 2020 |
| 8. | यूसीआईएल खान-तुम्मलापल्ली | नवंबर, 2017 | जनवरी, 2019 | नवंबर, 2019 |

निरीक्षणों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रकाशन एईआरबी की वार्षिक रिपोर्टों में नियमित रूप से किया जाता है। कार्यस्थल, बहिःस्राव, पर्यावरण और व्यावसायिक कामगारों में विकिरण की मात्रा के आंकलन से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन सभी खानों में किया जाता है। यूरेनियम खानों में व्यावसायिक कामगारों में विकिरण की मात्रा, एईआरबी द्वारा विनिर्दिष्ट विकिरण की मात्रा की सीमाओं के अन्तर्गत ही पाई गई है।

* * * * *